(3)

Occissue (2)

21/4/17 प्रथम पक्ष - बिन्देश्वरी देवी की हाजरी।

द्वितीय पक्ष - अनुपस्थित।

अधिवक्ता संघ, बस्ती के सामूहिक हड़ताल के कारण न्यायालय कार्य स्थगित रखा गया।

दिनांक - 22/4/17 को रखें।

अनु. दण्डा.

22/4/17 प्रथम पक्ष - वकालतन।

द्वितीय पक्ष - अनुपस्थित

आदेश पारित

22/04/17

आदेश

वाद सं० 08/17, बकेहा थाना अप्राथमिकी सं० - 05/17 दिनांक अस्पष्ट जो बकेहा थाना पुलिस निरीक्षक द्वारा दिनांक 13/02/17 को अनुसंशित एवं अग्रसारित होकर प्राप्त हुआ है के आलोक में द० प्र० सं० की धारा - 144 के

.....जारी

(4)

अन्तर्गत इस न्यायालय में दिनांक 25/02/17 को आरंभ की गयी है। जिसके प्रथम पक्ष मो॰ बिन्देश्वरी देवी तथा द्वितीय पक्ष दुर्गा राय वगैरह हैं।

अभिलेख से पता चलता है कि वाद की कार्यवाही मौजा - गौड़ा, थाना - बरकट्ठा, जिला - हजारीबाग, खाता सं॰ -129 - प्लॉट सं॰ - 894, एवं खाता सं॰ - 158 - प्लॉट सं॰ - 886 पर आरंभ की गयी है, परन्तु दोनों ही प्रश्नगत प्लॉट का रकबा एवं चौहद्दी उल्लेखित नहीं है।

वाद की कार्यवाही में द्वितीय पक्ष कभी उपस्थित नहीं हुआ है, परन्तु द्वितीय पक्ष को नोटिस तामिला होने संबन्धी कोई भी उल्लेख अभिलेख में नहीं दर्ज है।

अतः प्रश्नगत भूमि के रकबा और चौहद्दी स्पष्ट नहीं रहने के कारण अस्पष्टता (Vaugeness) की स्थिति में वाद की कार्यवाही बिना किसी बाध्यकारी आदेश के समाप्त किये जाते हैं। प्रथम पक्ष यदि चाहे तो प्रश्नगत भूमि के पूर्ण विवरण के साथ नया आवेदन दाखिल कर सकता है।

22/04/17

अनु॰ पदाधिकारी, बरही।